संख्याः37-1/VII-1/2016/233 उद्योग/2008

प्रेषक,

एस0रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक
निगम/सार्वजनिक उपक्रम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग– 2 देहरादून : दिनांक : 13 मई, 2016

विषयः दिनांक 1 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित/अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत निगम/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से मंहगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 100/XXVII(7)02/2010 दिनांक 04 मई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन निगम/सार्वजनिक उपक्रमों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू हो गई हों, (पुनरीक्षित वेतनमान) में कार्यरत पूर्णकालिक/नियमित कार्मिकों को दिनांक 1 जनवरी, 2016 से मंहगाई भत्ता 119 प्रतिशत से बढाकर 125 प्रतिशत एवं जिन निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू नही हुई हों, (अपुनरीक्षित वेतनमान) में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से मंहगाई भत्ता 234 प्रतिशत से बढाकर 245 प्रतिशत अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त मंहगाई भत्ते पर आने वाले समस्त व्ययभार को निगम/सार्वजनिक उपक्रम अपनी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये स्वंय के वित्तीय संसाधनों से वहन करेगें तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3– निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक (सेवानिवृत्त अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोडकर) की बढी हुई धनराशि उनके निधि में जमा की जायेगी तथा दिनांक 01 मई, 2016 से इसका नगद भुगतान किया जायेगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0रामास्वामी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (1)/VII-1/2016/233 उद्योग/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, निगम/सार्वजनिक उपक्रम, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव।